राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 20 (2) त.शि./2010 पार्ट जयपुर, दिनांक : 21.9.2010

<u>–: आदेश :–</u>

वर्ष 2010–2011 में अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में द्वितीय कॉउन्सलिंग के पश्चात् रिक्त रहे प्रवेश स्थानों को संस्थान स्तर पर प्रवेश देने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. कॉउन्सलिंग में सम्मिलित तथा नये संस्थानों में स्पष्ट रिक्त रहे प्रवेश स्थान जो कि आरपीईटी–2010 की वैवसाईट पर प्रकाशित है, में संस्थानों को अपने स्तर पर प्रवेश दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. संस्थानें दिनांक 22.9.2010 को नोटिस बोर्ड एवं अपनी वैवसाईट पर ब्रान्च वाईज रिक्त प्रवेश स्थान की सूचना उपलब्ध करायेगें।

3. संस्थानें दिनांक 23.9.2010 तक संस्थान में काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को internal sliding का प्रथमतः लाभ प्रदान करते हुए संस्थान में रिक्त प्रवेश स्थानों पर इच्छुक प्रवेशार्थियों को उनकी वरीयतानुसार प्रवेश देगें।

4. दिनांक 24.09.2010 को सायंकाल 5.00 बजे तक संस्थानें पाठ्यक्रमवार रिक्तियों की सूचना का हस्ताक्षरयुक्त पत्र स्केन करते हुए आरपीईटी–2010 कार्यालय तथा osd.techedu@gmail.com को ई–मेल आवश्यक से भेजेगें ।

5. संस्थानें इसके साथ दिनांक 25.09.2010 को आरपीईटी–2010 कार्यालय को दोपहर 1.30 बजे तक रिक्त प्रवेश स्थानों की सूचना विशेष पत्र वाहक के माध्यम से उपलब्ध करायेगें।

6. आरपीईटी–2010 कार्यालय द्वारा इन रिक्त प्रवेश स्थानों की सूचना आरपीईटी की वैवसाईट पर दिनांक 26.9.2010 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जावें।

7. निर्धारित तिथि तक सूचना प्रेषित नहीं करने वाली संस्थानों के रिक्त प्रवेश स्थानों को आरपीईटी–2010 की वैवसाईट पर प्रकाशित नहीं किया जावेगा तथा संस्थान स्तर पर दिये गये प्रवेश का अनुमोदन आरपीईटी–2010 द्वारा बिना राज्य सरकार की अनुमति/सहमति के नहीं किया जावेगा।

8. सम्बन्धित संस्थान जिनमें प्रवेश स्थान रिक्त है उनमें प्रवेश हेतु समाचार पत्रों में पाठ्यक्रमवार रिक्तियों का विज्ञापन जारी करेगें एवं आवेदन पत्र आमन्त्रित करेंगे।

9. रिक्त रहे प्रवेश स्थानों पर संस्थान स्तर पर प्रवेश निम्न वरीयता क्रम के अनुसार किये जायेगे :–

- RPET – 2010
- AIEEE – 2010 (राजस्थान मूल निवासी)।
- AIEEE – 2010(अन्य राज्य मूल निवासी)।
- राजस्थान मूल निवासी (10+2) न्यूनतम अर्हतक परीक्षा उत्तीर्ण।
- अन्य राज्यों का मूल निवासी (10+2) न्यूनतम अर्हतक परीक्षा उत्तीर्ण।

10. संस्थान प्रवेश प्रकिया को संस्थान स्तर पर सम्पादित करने हेतु एक नॉडल अधिकारी की नियुक्ति करेगी। नोडल अधिकारी का नाम एवं दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर की सूचना आरपीईटी–2010 कार्यालय तथा osd.techedu@gmail.com को उपलब्ध कराई जावें। नॉडल अधिकारी का निम्न दायित्व होगा :–

- प्रत्येक इच्छुक अभ्यर्थी से 200.00 रूपये का शुल्क (जिनको पूर्व में विकल्प के आधार पर प्रवेश नहीं मिला है, को Refund) प्राप्त करते हुए प्राप्त आवेदन पत्र की पूर्ण प्रविष्टि मय रसीद नम्बर एवं तिथि के साथ एक रजिस्टर में संधारित करेगा।
- उल्लेखित वरीयताकम की अनुपालना में रिक्त प्रवेश स्थानों पर एक निर्धारित तिथि को मैन्युअल कॉन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश प्रकिया पूर्ण करवायेगा।

11. सीधी भर्ती में प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करने की अंतिम तिथि तक drop out/left out सीटों को सम्मिलित कर लिया जावें।

12. आर.पी.ई.टी. 2010 के माध्यम से पूर्व में आवंटित संस्था में निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्रवेश प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस प्रक्रिया हेतु पात्र नहीं होगें।

13. संस्थानों की जिम्मेदारी होगी कि वे दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशित छात्रों की सूची विशेष पत्र वाहक के माध्यम से दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 तक आरपीईटी–2010 कार्यालय को उपलब्ध करा देगें। **(ई–मेल से प्रेषित सूचना मान्य नहीं होगा)**

14. आरपीईटी–2010 द्वारा दिनांक 15.10.2010 तक की अवधि का एक कलैण्डर बनाया जावें, जिसमें अलग अलग तिथिवार संस्थान प्राधिकृत अधिकारी को आरपीईटी कार्यालय में व्यक्तिशः आमंत्रित किया जावें तथा उनसे संस्थान में प्रवेशार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण कराते हुए सूची पर पुनः हस्ताक्षर कराते हुए उसी दिन प्रवेशार्थियों की सूचियों को नामांकन हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रेषित कर दी जावें।

15. किसी भी परिस्थिति में दिनांक 4 अक्टूबर,2010 के बाद किसी भी संस्थान की संस्थान स्तर पर प्रवेशित सूची को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

16. संस्थान द्वारा सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर आरपीईटी–2010 कार्यालय द्वारा केवल काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची को नामांकन हेतु राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रेषित कर दिया जावेगा । संस्थान स्तर पर दिये गये प्रवेशार्थियों का अनुमोदन आरपीईटी–2010 कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा एवं ऐसे अभ्यर्थियों के नामांकन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में कराने की जिम्मेदारी स्वयं संस्थान की रहेगी।

भवदीय

(आर. के. गुप्ता)
विशेषाधिकारी, त0शि0

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. **समन्वयक, आरपीईटी–2010 को प्रेषित कर लेख है कि इस सूचना को अविलम्ब आरपीईटी–2010 की वैवसाईट पर प्रकाशित कराने की सुनिश्चित करने के साथ ही संस्थानों को उनके ई–मेल पर डाउन लोड करवा दिया जावें।**
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
5. गार्ड फाईल।

विशेषाधिकारी, त0शि0